रांची में, मंगलवार दिनांक 06 मार्च, 2018 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

1.	श्री अगुस्टिन प्रफुल्ल बेग, झा0 प्र0 से0 (कोटि क्रमांक 750/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हंटरगंज, चतरा, सम्प्रति अंचल अधिकारी, हरिहरगंज, पलामू को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के सम्बध में।	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

2.	ढ़ाई करोड़ रूपये से अधिक लागत के जल संसाधन की परियाजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देष्य से निविदा प्रक्रिया एवं ठेका शर्त्तों हेतु विभाग में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत लागू स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, झारखण्ड के Section–3 की कंडिका–28 की उपकंडिका 28.1 में संषोधन प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग
(आवास प्रभाग)

3.	पष्चिमी सिहभूम जिले के सदर चाईबासा अंचलान्तर्गत माजा सालीहातु में आवासीय कॉलोनी विकसित करने हेतु 3.00 एकड़ पुरानी परती जमीन नगर विकास एव आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरित भूमि को झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, रांची को निःषुल्क हस्तांतरण किये जाने के संबंध में।	**स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

4.	कोडरमा जिलान्तर्गत अंचल– कोडरमा मौजा–कौआवर, थाना संख्या– 236 खाता संख्या– 92, के प्लॉट संख्या– 660 में अंतर्निहित कुल रकबा– 2.50 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि किस्म परती कदीम, राजस्व विभागीय पत्रांक– 4306/रा0, दिनांक– 24.10.14 के आधार पर निधारित दर रु0 9,18,800/– (नौ लाख अठारह हजार आठ सौ) मात्र प्रति एकड़ के अनुसार संगणित सलामी की राषि रु0 22,97,000/– (बाईस लाख सन्तानवे हजार) मात्र, सलामी का 5 प्रतिषत वार्षिक व्यवसायिक लगान का पूँजीकृत मूल्य की राषि रु0 28,71,250/– (अठाईस लाख एकहत्तर हजार दो सौ पचास) मात्र एवं लगान का 145% सेस का पूंजीकृत मूल्य की राषि रु0 41,63,313/– (एकतालीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ तेरह) मात्र अर्थात् कुल देय राषि रु0 93,31,563/– (तिरानवे लाख इकतीस हजार पाँच सौ तिरसठ) मात्र रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर कोडरमा–तिलैया रेलवे लाईन के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सषुल्क स्थायी भू–हस्तांतरण के संबंध में।	**स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

5.	मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक– 18.05.12 के मद संख्या– 07 में लिये गये निर्णय के आलोक में निर्गत राज्यादेष संख्या– 1831/रा0, दिनांक–13.06.12 (संलग्न अनुलग्न–I) को रद्द करते हुए पाकुड जिलान्तर्गत अंचल–आमड़ापाड़ा के मौजा–चिलगोजोरी, थाना संख्या– 16, खाता सं0– 51, दाग सं0– 946, में अंतर्निहित कुल रकबा– 12.00 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि किस्म–पुरातन पतित पर जवाहर नवोदय विद्यालय–II की स्थापना हेतु नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रलाय, भारत सरकार को निःषुल्क भू–हस्तांतरण करने के संबंध में।	**स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

6. झारखण्ड विधान मण्डल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015 में संशोधन के संबंध में। **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

7. स्कीम संख्या–21214 के अन्तर्गत झारखण्ड विधान सभा भवन के निर्माण कार्य हेतु हुडको से रुपये 465.00 करोड़ (चार सौ पैंसठ करोड़) मात्र का ऋण आहरण करने की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

8. W.P.(S) No-4542/2014 आनन्द एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा पारित आदेश एवं इससे उद्भूत Cont. Case (c) No.- 849/2016 के अनुपालनार्थ सूचना सेवा के मूलकोटि पद हेतु स्वीकृत वेतनमान का पुनर्निधारण करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

9. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXIII के तहत् 51– ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रु0 14310.50 लाख के ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

विधि विभाग

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु श्री अजीत कुमार सिन्हा, तत्कालीन वरीय स्थायी सलाहकार (सम्प्रति वरीय अपर महाधिवक्ता) के नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति एवं शुल्क निर्धारण तथा वरीय स्थायी सलाहकार एवं उनके सहायतार्थ दो कनीय अधिवक्ताओं के पद को समाप्त करने के संबंध म। **स्वीकृत।**

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

11. झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के लिए रु0 10,00,000/– (दस लाख) मात्र का Specific Advance की झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 332 को शिथिल करते हुए निकासी की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

उद्योग, खान एवं भू–तत्व विभाग

12. पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा–बुधाबुरू (धोबिल) के 513.036 हे0 क्षेत्र पर सर्वश्री स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि0 द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा क्षेत्र में से 29.411 हे0 क्षेत्र पर खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के तहत् अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में।	**इस शर्त्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत कि खनन पट्टे के निष्पादन के पूर्व संलेख की कंडिका–8 में अंकित खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के निमय (3) के उप–नियम (2) के हिन्दी एवं अंग्रेजी में रूपान्तरित प्रावधान की भिन्नता पर खान मंत्रालय, भारत सरकार से स्थिति स्पष्ट करा ली जाय एवं खनन पट्टे का निष्पादन तदनुरूप प्रभावित होगा।**

उद्योग, खान एवं भू–तत्व विभाग

13. सर्वश्री हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि0 द्वारा सिन्दरी, धनबाद, झारखण्ड राज्य में Fertilizer/Ammonia/ Urea Plant की स्थापना हेतु लीज दस्तावेज पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति (छूट) की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज प्रभाग)

14. राज्य के ग्रामीण विकास में जन–जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गाँव में आदिवासी विकास/ग्राम विकास समितियों का गठन।	**स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

15. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड द्वारा सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं लोक अभियाजक के सृजित पदों को झारखण्ड अभियोजन सेवा में सम्मिलित करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

16. झारखण्ड राज्य में भेषजी स्नातक (B.Pharma) पाठ्यक्रम विनियम, 2018 की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

::अन्यान्य::

17. श्रीमती राजबाला वर्मा (भा०प्र०से०–83) लगभग 35 वर्षों की सेवा के पश्चात् दिनांक 28.02.2018 को सेवानिवृत्त हुई हैं। श्रीमती वर्मा एक कुशल एवं दक्ष प्रशासक थीं। मंत्रिपरिषद् ने श्रीमती वर्मा द्वारा मुख्य सचिव के रूप में सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने तथा अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वह्न करने के लिए आभार व्यक्त किया तथा भविष्य के लिए शुभकामनायें दी।

ह0/–
(सुधीर त्रिपाठी)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड